

--: आदेश :-

संचालनालय के आदेश क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-5/2019/2428 भोपाल, दिनांक 28.12.2019 द्वारा डॉ. सुनिल पाटील चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-बुरहानपुर का स्थानांतरण प्रशासकीय आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोरवा, जिला अलीराजपुर किया गया था ।

उक्त स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध डॉ. सुनिल पाटील द्वारा मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्र 359/2020 दर्ज की गई जिसमें पारित आदेश दिनांक 09.01.2020 में मान न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया – direction to the petitioner to file a fresh representation along with all the relevant documents before the concerned respondents authority, in turn, the respondents shall decide the representation of the petitioner within a period of 30 days from the date of receipt of certified copy of the order passed today. Till the representation is decided or for a period of 30 days, whichever is earlier, the effect and operation of the impugned order dated 28.12.2019 shall remain stayed.


मान. न्यायालय निर्णय के पालन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-बुरहानपुर के माध्यम से संबंधित का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, अभ्यावेदन में निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर स्थानांतरण निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है— 1. स्थानांतरण स्थानांतरण नीति की कण्डिका-11.17 के विरुद्ध है क्योंकि प्रार्थी वर्तमान में मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष बुरहानपुर के लिए निर्वाचित है । 2. स्थानांतरण आदेश स्थानांतरण नीति के विरुद्ध प्रतिबंध अवधि में किया गया है । 3. स्थानांतरण पर मान. मंत्रीजी का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया । 4. प्रार्थी को 03 वर्ष वर्तमान पदस्थापना स्थल पर नहीं हुए है । 5. प्रार्थी की पुत्री एल.के.जी. प्रायवेट स्कूल बुरहानपुर में अध्ययनरत है । 6. प्रार्थी के पास जिला क्षय अधिकारी का प्रभार भी है ।

डॉ. सुनिल पाटील लम्बे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ है तथा कार्यस्थल से संबंधित के विरुद्ध लगातार शिकायते होने, लोकायुक्त, अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुये डॉ. पाटील का स्थानांतरण जिला-बुरहानपुर से जिला अलीराजपुर किया गया है ।

डॉ. पाटील से प्राप्त अभ्यावेदन में अंकित कोई भी कारण ऐसा नहीं है, जिसके आधार पर आवेदक का स्थानांतरण निरस्त किया जावे, अपितु लगातार शिकायते यह स्पष्ट करती है कि आवेदक का जिला बुरहानपुर में बने रहना अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यशैली पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है ।

डॉ. सुनिल पाटील चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध थाना लाल बाग जिला बुरहानपुर में अपराध क्र. 390/20 धारा 354, 506, 509 एस.एस.टी. अधिनियम 1989 पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 19.07.2020 को गिरफ्तार किये जाने एवं न्यायिक अभिरक्षा में 48 घंटे से अधिक रहने के कारण आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें के आदेश क्र.883 दिनांक 23.07.2020 द्वारा संबंधित को निलंबित किया गया है ।

उपरोक्तानुसार मान.उच्च न्यायालय द्वारा याचिका में पारित आदेश दिनांक 09.01.2020, सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2019-20 में उल्लेखित बिन्दुओं एवं संबंधित से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचारोपरांत अभ्यावेदन अमान्य करते हुए संचालनालय आदेश दिनांक 28.12.2019 यथावत रखा जाता है। डॉ. सुनिल पाटील वर्तमान में निलंबित है। निलंबन अवधि के दौरान डॉ.सुनिल पाटील का मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला- अलीराजपुर परिवर्तित किया जाता है।


(सफना एम.लोवंशी)

अपर संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
म0प्र0

पृ0क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/2020/ 2130

भोपाल, दिनांक 10/11/2020

प्रतिलिप:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01 विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म0प्र0।
02. अपर प्रमुख सचिव म0प्र0शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल,म0प्र0।
03. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश,म0प्र।
04. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग म0प्र0।
05. अपर संचालक (प्रशासन/लीगल) स्थानीय कार्यालय की ओर मान. न्यायालय प्रकरण के संदर्भ में।
06. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला-अलीराजपुर/बुरहानपुर म0प्र0।
07. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला- अलीराजपुर/बुरहानपुर म.प्र.।
08. ✓ जिला कोषालय अधिकारी जिला- अलीराजपुर/बुरहानपुर म0प्र0।
09. संबंधित डॉ.सुनिल पाटील निलंबित चिकित्सा अधिकारी की ओर तत्काल पालनार्थ द्वारा- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला- बुरहानपुर म0प्र0।
10. प्रभारी एम0आई0एस0,स्थानीय कार्यालय, भोपाल म0प्र0।


9/11/2020

अपर संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म0प्र0